उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7 जनवरी, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 13 जनवरी, 1972 ई० को बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 जनवरी, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 17 जनवरी, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 को संशोधित करने के लिये

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966 की धारा 14 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 14 की उपधारा (2) में शब्द "और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से" निकाल दिये जायं।

धारा 22 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 22 में खंड (ख) में शब्द "पांच हजार रुपये से" के स्थान पर शब्द "ऐसी धनराशि से जो नियत की जाय" रख दिये जायं।

धारा 30 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 30 में—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक सहकारी समिति का एक सभापति और उप सभापति होगा जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित, नाम-निर्दिष्ट या नियुक्त किया जायगा।"

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 6 जनवरी, 1972 ई० का सरकारी साधारण गजट देखिये।)

(2) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:-

"(4) सभापति की मृत्यु, पदत्याग या हटाये जाने के कारण अथवा अन्य प्रकार से उसका पद रिक्त होने की दशा में, उप-सभापति उस दिनांक तक सभापति के कर्त्तव्यों का पालन करेगा जब तक कि नया सभापति यथाविधि निर्वाचित, नाम-निर्दिष्ट या नियुक्त न हो जाय ।"

धारा 34 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"34 (1) यदि राज्य सरकार ने:—

(क) अध्याय 6 के अधीन किसी सहकारी समिति की अंश पूंजी में प्रत्यक्ष रूप से अंशदान दिया हो, या

(ख) किसी सहकारी समिति की अंश पूंजी के निर्माण या वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी हो, जैसी कि अध्याय 6 में व्यवस्था की गयी है, या

(ग) किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम दिया हो अथवा किसी सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो अथवा किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो,

तो राज्य सरकार को ऐसी समिति की प्रबन्ध कमेटी में दो से अनधिक व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, जिनमें से एक सरकारी सेवक होगा, किन्तु सरकारी सेवक समिति के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन में मत न देगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा अभिदत्त अंश पूंजी पन्द्रह लाख रुपये से कम न हो, तो राज्य सरकार को कमेटी के सदस्यों में से प्रबन्ध कमेटी का सभापति नाम-निर्दिष्ट करने का भी अधिकार होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि:—

(1) यदि समिति की अंश पूंजी में राज्य सरकार का अंश पच्चीस प्रतिशत से अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से अनधिक हो, तो राज्य सरकार को प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के, एक तिहाई तक सदस्य, जिनमें सभापति भी सम्मिलित है, नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, और एक बार प्रोद्भूत ऐसा अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि समिति की अंश पूंजी में राज्य सरकार का अंश बीस प्रतिशत से कम न हो जाय,

(2) यदि समिति की अंश पूंजी में राज्य सरकार का अंश समिति की कुल अंश पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक किन्तु साठ प्रतिशत से कम हो, तो राज्य सरकार को प्रबन्ध कमेटी क सदस्यों की संख्या में से, उतने सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, जिनमें सभापति भी सम्मिलित है, जो कुल संख्या के आधे से अधिक और यथासंभव उसके निकटतम हो, और एक बार प्रोद्भूत ऐसा अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि समिति की अंश पूंजी में राज्य सरकार का अंश चालीस प्रतिशत से कम न हो जाय ।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को प्रबन्ध कमेटी के कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई तक सदस्य, जिनमें सभापति भी सम्मिलित है, नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, यदि:—

(क) समिति की अंश पूंजी में राज्य सरकार का अंश साठ प्रतिशत से कम न हो, या

(ख) राज्य सरकार ने समिति को ऋण या अग्रिम दिया हो या समिति द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिए प्रत्याभूति दी हो अथवा समिति को ऋण या अग्रिम के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो, जो धनराशि समिति द्वारा इस प्रकार उधार ली गयी कुल धनराशि के योग से साठ प्रतिशत से कम न हो, या

(ग) राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा दोनों द्वारा समिति के लिए व्यवस्थित चालू पूंजी समिति की कुल चालू पूंजी (जो नियत रीति से अवधारित की जायेगी) की धनराशि के साठ प्रतिशत से कम न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी समिति की दशा में, जो माल का निर्माण, संरक्षण, प्रक्रिया या वितरण अथवा खनन या विद्युत् का जनन या वितरण के लिये किसी उपक्रम को चलाने के उद्देश्य से बनायी गयी हो, और जिसकी कुल चालू

पूंजी (जो नियत रीति से अवधारित की जायेगी) ऐसी धनराशि से कम न हो, जो नियत की जाय, राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्यों में कम से कम दो सरकारी सेवक होंगे ।

(3) उप-धारा (2) के अधीन एक बार प्रोद्भूत अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उक्त धारा के यथास्थिति, खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में अभिदिष्ट धनराशि पचास प्रतिशत से कम न हो जाय ।

(4) यदि राज्य सरकार को या राज्य सरकार के अनुमोदन से, धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (च) में अभिदिष्ट किसी निगमित निकाय को समिति के साथ किसी अनुबन्ध के अधीन नाम-निर्देशन का अधिकार दिया जाय, तो ऐसे अधिकार की सीमा, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार शासित होगी ।

(5) यदि राज्य सरकार इस धारा के अधीन नाम-निर्देशन करने के अपने अधिकार का प्रयोग करे तो :—

(क) सभापति का नाम-निर्देशन करने की दशा में, तत्समय उक्त पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति उस दिनांक को, जब राज्य सरकार नाम-निर्देशन करे, सभापति न रह जायगा ;

(ख) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने की दशा में, निबन्धक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन कमेटी के उतने सदस्यों को निवृत्त करने के लिये जितने राज्य सरकार के नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों को स्थान देने के निमित्त आवश्यक हो, पर्चियां, ऐसे दिनांक और समय तथा स्थान पर, जो निबन्धक द्वारा तदर्थ निश्चित किया जाय (जिस की सूचना कमेटी के सदस्यों को दी जावेगी) डाली जायेंगी, और जिन सदस्यों के नाम पर्चियां डाल कर निकाले जायें वे पर्चा निकाले जाने के दिनांक से कमेटी के सदस्य नहीं रह जायेंगे ।

(6) यदि राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय ने इस धारा के अधीन कोई नाम-निर्देशन किया हो तो समिति उस दिनांक से जब इस धारा के अधीन राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय का नाम-निर्देशन करने का अधिकार समाप्त हो जाय, नब्बे दिन के भीतर और नियत रीति से, नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के स्थान पर सदस्यों का निर्वाचन करेगी, और नाम-निर्दिष्ट सभापति के स्थान पर, यदि कोई हो, सभापति का निर्वाचन करेगी और तब नाम-निर्दिष्ट सदस्य तथा सभापति ऐसे निर्वाचन के दिनांक से अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे ।

(7) इस धारा के अधीन राज्य सरकार में निहित नाम-निर्देशन का अधिकार उसके द्वारा किसी ऐसे प्राधिकारी को जिसे वह तदर्थ निर्दिष्ट करे, प्रतिनिहित किया जा सकता है ।

(8) इस धारा के अधीन नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति यथास्थिति राज्य सरकार या उप-धारा (7) के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी की इच्छा पर्यन्त पद धारण करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा दी गयी कोई प्रत्याभूति राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति समझी जायेगी ।

धारा 98 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 98 में, उप-धारा (1) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(ख) निबन्धक का कोई ऐसा आदेश, जिसमें किसी सहकारी समिति की उपविधियों में किसी संशोधन की धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन निबद्ध करने से इंकार किया गया हो, अथवा धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन निबद्ध किया गया हो ;"

उ० प्र० अध्यादेश संख्या 18, 1971 का निरसन ।

7—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश 1971 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 32 जनरल (लेग०)—1972—1,799+50 (मे०) ।

UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1972

(U. P. ACT No. 1 OF 1972)

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Sahakari Samitis (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-Second Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1972.

Amendment of section 14 of U.P. Act no. XI of 1966.

2. In section 14 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (2), the words "and with the prior approval of the State Government" shall be *omitted*.

Amendment of section 22.

3. In section 22 of the principal Act, in clause (*b*), *for* the words "five thousand rupees", the words "such amount as may be prescribed" shall be *substituted*.

Amendment of section 30.

4. In section 30 of the principal Act—

(i) *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) Every co-operative society shall have a Chairman and Vice-Chairman elected, nominated or appointed in accordance with the provisions of this Act, the rules and the bye-laws.";

(ii) *after* sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(4) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the Chairman by reason of his death, resignation or removal or otherwise, the Vice-Chairman shall perform the duties of the Chairman until the date on which a new Chairman is duly elected, nominated or appointed."

Amendment of section 34.

5. *For* section 34 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"34. (1) Where the State Government has—

(*a*) subscribed directly to the share capital of a co-operative society under Chapter VI; or

(*b*) assisted indirectly in the formation or augmentation of the share capital of a co-operative society as provided in Chapter VI; or

(*c*) given loans or made advances to a co-operative society or guaranteed the repayment of principal and payment of interest on debentures issued by a co-operative society or guaranteed the repayment of principal and payment of interest on loans or advances to a co-operative society,—

the State Government shall have the right to nominate on the committee of management of such society not more than two persons one of whom shall be a government servant, so, however, that the government servant shall not vote at an election of an office-bearer of the society :

Provided that where the share capital subscribed to by the State Government is not less than fifteen lakhs of rupees the State Government shall also have the right to nominate the Chairman of the

---

[*For Statement of Objects and Reasons, please *see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated January 6, 1972.]

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on January 7, 1972 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on January 13, 1972.)

(Received the Assent of the Governor on January 16, 1972 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated January 17, 1972.)

Committee of Management from amongst the members of the Committee :

Provided further that—

(i) where the share of the State Government in the share capital of the society exceeds twenty-five per cent but does not exceed fifty per cent, the State Government shall have the right to nominate up to one-third of the total number of the members of the Committee of Management, including the Chairman, and such right once accrued shall continue until the share of the State Government in the share capital of the society goes down to less than twenty per cent ;

(ii) where the share of the State Government in the share capital of the society exceeds fifty per cent, but is less than sixty per cent of the total share capital of the society, the State Government shall have the right to nominate such number of members of the Committee of Management, including the Chairman, as exceeds and is nearest to one-half of the total, and such right once accrued shall continue until the share of the State Government in the share capital of the society goes down to less than forty per cent.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government shall have the right to nominate up to two-thirds of the total number of members of the Committee of Management including the Chairman, if—

(*a*) the share of the State Government in the share capital of the society is not less than sixty per cent ; or

(*b*) the State Government has given loans or made advances to the society, or guaranteed the repayment of principal and payment of interest on debentures issued by the society or guaranteed the repayment of principal and payment of interest on loans or advances to the society in amounts not less than sixty per cent in the aggregate of the total amount so borrowed by the society ; or

(*c*) the working capital provided to the society by the State Government or the Central Government or by both is not less than sixty per cent of the amount of the total working capital (to be determined in the prescribed manner) of the society :

Provided that in the case of a society formed with the object of running an undertaking for the manufacture, preservation, processing or distribution of goods, or mining, or generation or distribution of electricity, and having a total working capital (to be determined in the prescribed manner) of not less than such amount as may be prescribed, not less than two members so nominated by the State Government shall be government servants.

(3) The right once accrued under sub-section (2) shall continue until the percentage of the amount referred to in clause (*a*), clause (*b*) or clause (*c*), as the case may be, of that sub-section goes down to less than fifty.

(4) Where the State Government or, with the approval of the State Government, a body corporate referred to in clause (*f*) of sub-section (1) of section 17 is given a right of nomination under an agreement with the society, the extent of such right, shall, notwithstanding anything in sub-section (1) or sub-section (2), be governed by the terms of such agreement.

(5) Where the State Government exercise its right of nomination under this section, then—

(*a*) in the case of nomination of Chairman, any person for the time being holding that office shall cease to be Chairman on the date the State Government makes the nomination ;

(*b*) in the case of nomination of members of the Committee of Management, lots shall be drawn by or under the authority of the Registrar on a date and at the time and place to be fixed by the Registrar in that behalf (of which notice shall be given to members of the

committee) for the retirement of so many members of the committee as may be necessary to accommodate the nominees of the State Government, and the members whose names are drawn by lots shall on the date of such drawal cease to be members of the Committee.

(6) Where the State Government or any body corporate has made any nominations under this section, the society shall, within ninety days from the date on which the right of nomination of the State Government or of any body corporate under this section ceases to exist, and in the manner prescribed, elect members to replace the nominated members and elect a Chairman to replace the nominated Chairman, if any, and the nominated members and Chairman shall cease to hold their respective offices on the date of such election.

(7) The right of nomination vested in the State Government under this section may be delegated by it to any authority specified by it in that behalf.

(8) A person nominated under this section shall hold office during the pleasure of the State Government or the authority specified under sub-section (7), as the case may be.

Explanation—For the purposes of this section, any guarantee given by the Central Government on the recommendation of the State Government shall be deemed to be a guarantee given by the State Government."

Amendment of section 98.

6. In section 98 of the principal Act, in sub-section (1), *for* clause (*b*), the following clause shall be *substituted*, namely—

"(*b*) an order of the Registrar under sub-section (3) of section 12 refusing to register, or under sub-section (2) of section 14 registering, an amendment in the bye-laws of a co-operative society;".

Repeal of U. P. Ordinance no. 18 of 1971.

7. The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1971, is hereby repealed.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 33 जनरल (लेग०)—1972—1,817+50 (मे०)।